भारत निर्माण सेवक

महिला सशक्तीकरण हेतु विधिक साक्षरता

-एक संक्षिप्त परिचय

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0

लखनऊ - 226202

मेरा दायित्व

समुदाय से निरन्तर सम्पर्क करना।

समुदाय को प्रोत्साहित करना।

समुदाय का सहयोग करना।

आँख, कान की भूमिका निभाना।

समुदाय तथा विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

संरक्षण एवं मार्गनिर्देशन

एन.एस. रवि
आई.ए.एस.
महानिदेशक

सम्पादक

डा. ओ0पी0 पाण्डेय
संयुक्त निदेशक

संकलन एवं प्रस्तुतीकरण

- डॉ. राज किशोर
- नवीन चन्द्र अवस्थी
- डॉ. ओमेन्द्र कुमार यादव
- शिव भगवान
- सुमन पाण्डेय
- मुद्रिका शर्मा

अन्य सहयोगी

- माला पाण्डेय
- अनुज कुमार दुबे
- राजेन्द्र कुमार

प्रथम संशोधित संस्करण

©एस.आई.आर.डी.यू.पी. वर्षः 2015

एन.एस.रवि
आई.ए.एस.

महानिदेशक
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ.प्र.
लखनऊ–226202

संदेश

ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण सेवकों को गतिशील करने का कार्य उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

ये सेवक ग्रामीण विकास, पंचायतीराज तथा समस्त लाइन डिर्पाटमेन्ट की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में योजना नियोजन, क्रियान्वयन, अनुसरण आदि में परामर्शदाता/प्रेरक/ सुविधादाता के रूप में निःशुल्क अपना योगदान एवं सेवा प्रदान करेंगे। ग्रामीण समुदाय से ही चयनित ये सेवक विभिन्न लाभकारी योजनाओं एवं लाभार्थियों के मध्य एक मजबूत कड़ी का काम करते हुए कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संबंधित सूचनाओं को आम– जनमानस तक पहुँचायेंगे।

इन सेवकों तथा ग्रामीण समुदाय को इस योजना के विषय में सरल एवं स्पष्ट जानकारी देने के उद्देश्य से संस्थान के डॉ0 ओ0 पी0 पाण्डेय, संयुक्त निदेशक व उनकी टीम द्वारा विभिन्न स्रोतो से संकलित कर यह संदर्भ साहित्य विकसित करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। आशा है विभिन्न विकास योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने में भारत निर्माण सेवकों की क्षमता विकास के लिए यह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

एन.एस.रवि
महानिदेशक

परिचय

हमारे देश में हर नागरिक को अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धान्तों के साथ बिना किसी भेदभाव के समानता और इज्जत से जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से जीवन तभी जी सकता है जब उसे समान अवसर मिले तथा धर्म, जाति, लिंग भेदभाव ना हो।

महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, तथा स्वास्थ्य का स्तर किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की प्रथम आवश्यकता है। महिलाओं में शक्ति क्षमता व आत्म विश्वास को जागृत कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। महिलाओं का सामाजिक सेवाओं में समान अवसर, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है।

भारत का संविधान महिलाओं का समानता का अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्पन्न कराते हुए आत्मनिर्भर बनाने व समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

महिलाओं की विभिन्न भूमिका

जन-धन योजना का लाभ उठायें, बैंक में खाता खुलवायें।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं उनके लिये प्राविधानिक दण्ड

क्र.सं.	अपराध	भारतीय दण्ड संहित धारा	सजा
1.	दहेज लेना और देना	3	5 साल + जुर्माना
2.	दहेज मांगना	4	न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 साल + जुर्माना
3.	दहेज हत्या	304 बी	आजीवन कारावास
4.	आत्महत्या के लिए प्रेरित करना	306	10 वर्ष कारावास व जुर्माना
5.	गर्भपात पारित करना	312	3–7 वर्ष व जुर्माना
6.	स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात करना / कराना	313	10 वर्ष से आजीवन कारावास + जुर्माना
7.	औरत की शालीनता भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना	354	2 वर्ष या जुर्माना या दोनों
8.	18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को संरक्षक की सम्मति के बिना बहका ले जाना	363	7 वर्ष + जुर्माना
9.	विवाह के लिए विवश करने के लिये किसी स्त्री का अपरहण या भगाना	366	10 वर्ष + जुर्माना
10.	वैश्यावृत्ति के लिये अवयस्क को बेचना / खरीदना	372 व 373	10 वर्ष + जुर्माना

अपने राज्य में लीगल सर्विस अथारिटी जायें,
महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता दिलाएं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं उनके लिये प्राविधानिक दण्ड

11.	एन्टी रेप लॉ	375	7 वर्ष की सज़ा, ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद तथा कोमा की स्थिति में फाँसी
12.	बलात्कार	376	न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष विशेष परिस्थितियों में आजीवन कारावास+जुर्माना
13.	पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी करना	494	7 वर्ष कारावास+ जुर्माना
14.	विवाहित स्त्री को अपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना, उसके साथ अनैतिक शारीरिक संबंध के लिए विवश करना	509	2 वर्ष या जुर्माना या दोनों
15.	महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द कहना या अश्लील हरकतें करना	509	1 वर्ष या जुर्माना या दोनों
16.	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा औरत पर क्रूरता	498 A	2 वर्ष या जुर्माना या दोनों
17.	बेइज्जती करना, झूठे आरोप लगाना	499	2 वर्ष या जुर्माना या दोनों
18.	वैध विवाह के बिना धोखाधड़ी से शादी की रस्म पूरी करना	496	7 वर्ष व जुर्माना
19.	लोक स्थान पर अश्लील गाने गाना या अश्लील कार्य करना	294	3 माह कारावास या जुर्माना या दोनों
20.	भरण – पोषण से संबंधित कानून	125 – 128	आमतौर पर रू0 500/– प्रतिमाह पति से महिला पाने की अधिकारी है।
21.	एसिड हमला	326 क	न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास + जुर्माना। विशेष परिस्थितियों में आजीवन कारावास

जागरूक महिला ही सशक्त महिला है।

महिला संरक्षण से सम्बन्धित कुछ संवैधानिक व्यवस्थायें

क्र.सं.	भारतीय संविधान के अनुच्छेद	प्राविधान/व्यवस्था
1.	अनुच्छेद– 14	समता का अधिकार
2.	अनुच्छेद– 15	राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिको के बीच विभेद नहीं करेगा।
3.	अनुच्छेद– 35 (द)	समान कार्य के लिये समान वेतन की बात की गयी है।
4.	अनुच्छेद– 23 एंव 24	शोषण के विरूद्ध अधिकार के बारे में है एवं मानव दुर्व्यवहार एवं बालश्रम का प्रतिरोध करता है।
5.	अनुच्छेद– 42	महिला को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान करने की बात कही गयी है।
6.	अनुच्छेद– 16	रोजगार के अवसर में समानता की गारंटी दी गयी है, किसी नागरिक को मात्र महिला होने के नाते अयोग्य नहीं माना जा सकता और न ही इस कारण उसके साथ भेदभाव किया जायेगा।
7.	अनुच्छेद– 42 (अ)	गौरवशाली परम्परा के महत्ता को समझें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के खिलाफ हो।
8.	अनुच्छेद– 325	निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरूष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है।
9.	अनुच्छेद– 160	कोई भी पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान किसी भी महिला को थाने पर नहीं बुला सकेगा, अगर उसे महिला के बयान लेनें हैं तो वह उसके निवास स्थान पर जायेगा।

उ.प्र. महिला हेल्पलाइन नम्बर – 1090

महिलाओं के अधिकारों के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005

घरेलू हिंसा में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की मंशा से घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया है। घरेलू हिंसा का अभिप्राय निम्न प्रकार की हिंसा से है –

यह कानून घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण एवं राहत प्रदान करने के लिए है। ऐसी कोई भी महिला प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायलय में शिकायत दर्ज कर सकती है।

दण्ड़ प्रकिया संहिता के अर्न्तगत महिलाओं की सुरक्षा के प्रावधान

सुरक्षा प्रावधान	धारा
स्त्री की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद एवं सुर्योदय से पहले नहीं, यदि आवश्यक हो तो महिला पुलिस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद	46
बलात्कार के अपराध की जांच या विचारण बंद कमरे में किया जायेगा	327
भरण – पोषण	125
पुलिस किसी स्त्री को जांच के दौरान बयान देने के लिए थाने नहीं बुलायेगी	160

अपने आस-पास हो रही घरेलू हिंसा को रोकने में सहयोगी बने।

महिला श्रम संबंधी नियम/कानून

- कामकाजी महिलाओं से सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही काम करवा सकते है।
- एक हफ्ते में किसी महिला से अधिकतम 48 घण्टे ही काम कराया जा सकता है।
- किसी भी महिला से लगातार 5 घण्टे से ज्यादा काम करवाना कानूनी अपराध है।
- अगर किसी कारखाने में 30 से अधिक महिलाएं कार्यरत है तो फैक्ट्री में बच्चों की देखभाल के लिए पालना घर कानूनी तौर पर आवश्यक है।
- महिला कर्मचारियों के लिए अलग से स्नान गृह व शौचालय का होना आवश्यक है।
- कामकाजी महिला अगर गर्भवती है तो कानून में अलग से सुविधाओं का प्राविधान है।
- किसी भी गर्भवती महिला को प्रसूति से 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद में वेतन सहित अवकाश पाने का अधिकार है।
- कारखाने में किसी खतरनाक मशीन पर या वजन ढोने वाला कार्य महिला श्रमिक से नही करवाया जा सकता ।

महिलाओं के अधिकार

विश्व महिला दिवस 8 सितम्बर को मनाया जाता है

राज्य – महिला आयोग के कार्य

- महिलाओं के उत्पीड़न सम्बन्धी समस्याओं का समाधान।
- बाल विवाह विरोधी अभियान का संचालन किया जाना।
- कार्य स्थल पर महिलाओं के शोषण सम्बन्धी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही किया जाना।
- बलात्कार एवं यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सम्बन्ध में तत्काल विधिक कार्यवाही कराया जाना।
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से सम्बन्धित जागरूकता अभियान का चलाया जाना तथा प्रतिदिन की घरेलू हिंसा से छुटकारा दिलाना।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

- महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में शिकायती प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में प्राप्त किये जाते हैं।
- शिकायती प्रार्थना पत्र के साथ कोर्ट फीस/स्टैम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है।
- शिकायतों की सुनवाई आयोग में केवल सम्बन्धित पक्षों से की जाती है। सुनवाई में प्रतिनिधि/अधिवक्ता की उपस्थिति मान्य नहीं है।
- पीड़ित महिलायें आयोग द्वारा संचालित टोल फ्री (निःशुल्क) महिला हेल्प नं0 1800–180–5220 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। वेबसाइट : *up.mahilaayog@yahoo.com*
- महिलायें अपनी शिकायतें स्वयं उपस्थित होकर या डाक द्वारा अथवा फैक्स के माध्यम से दर्ज करा सकती है।

महिला उत्पीड़न का होगा अन्त, महिला आयोग है उनके संग।

भारत निर्माण सेवक की भूमिका

- ग्रामीण समुदाय को महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी देना।
- महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में जानकारी देना जैसे– जननी सुरक्षा योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेन्शन, के0एस0वाई0, सबला इत्यादि।
- महिलाओं को दण्ड़ प्रक्रिया से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी देना तथा उससे बचने के उपाय बताना।

- महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के लाभ के बारे में जानकारी देना तथा समूह बनाने के लिए प्रेरित करना।
- शिकायत निवारण हेल्पलाइन के बारे में महिलाओं को जागरूक करना।

महिलाओं में जानकारी ही कामयाबी की मंजिल है।

भारत निर्माण सेवक - सामाजिक दायित्व

- पहल हेतु प्रेरित करना
- पहल को महत्व देना
- पहल को पहचान देना
- पहल को प्राथमिकता देना
- पहल का समर्थन
- पहल को प्रोत्साहन देना
- पहल में भागीदार होना
- पहल का कार्यान्वयन कराना

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0
जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केन्द्र
बख्शी का तालाब, इन्दौराबाग, लखनऊ - 226202
के द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित
दूरभाष : 05212-298291, 298292 फैक्स - 05212-298209
E-mail: sirdup2005@rediffmail.com
Website : www.sirdup.in